I/76988/2022

संख्या 634 /VI-3/2022–06(03)/2008

प्रेषक,

अभिनव कुमार,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेलकूद निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून :** **दिनांक: 17 नवम्बर, 2022**

विशयः देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार/हिमालय रत्न खेल पुरस्कार/प्रशिक्षकों को दिये जाने वाले देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–555/खे0नी0शासन0पत्रा0/2022–23/दे0दून, दिनांक 16 जून, 2022 एवं पत्र संख्या–1139/खेल नीति शा0 पत्रा0/2022–23/दे0दून, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''खेल नीति–2021'' के प्राविधानों तथा तथा इसी कड़ी में प्रस्तावित ''हिमालय पुत्र खेल पुरस्कारों'' के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों के लिए ''उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार'' तथा ''उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार'' प्रदान किये संबंधी पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए ''देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार'', ''हिमालय रत्न खेल पुरस्कार'', प्रशिक्षकों को दिये जाने वाले ''देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार'' के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं/प्रशिक्षकों को राज्य पुरस्कार :–

(क) देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार –

(1) यह राज्य के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होगा, जो सामान्यतः प्रतिवर्ष किसी एक खिलाड़ी को प्रदान किया जायेगा, परन्तु यदि शासन स्तरीय समिति किसी वर्ष विशेष में किसी भी खिलाड़ी को इस पुरस्कार के लिए उपयुक्त नहीं पाती है, तो उस वर्ष किसी को यह पुरस्कार न देने का निर्णय ले सकती है या किसी वर्ष विशेष में 01 से अधिक खिलाड़ी उपयुक्त पाये जाते हैं, तो समिति उक्त पर भी निर्णय ले सकती है।

(2) पुरस्कार किसी खिलाड़ी को उसकी विगत 01 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया जाएगा, उपलब्धियों का मापदण्ड खिलाड़ी द्वारा **प्रस्तर–(घ)मूल्यांकन/अंक तालिका** में दी गयी अंक प्रणाली में अर्जित अंकों का योग होगा।

(3) निदेशालय द्वारा सामान्यतः जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में पुरस्कारों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जांएगे, जो विगत 01 कलैण्डर **वर्ष की उपलब्धियों के लिए निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप संलग्न)** पर होंगे।

(4) निदेशालय स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार के प्रथम पांच नामों की सूची शासन स्तर पर प्रेषित की जाएगी।

(5) देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार ओलम्पिक एवं एशियाड से सम्बन्धित ऐसे खेलों के खिलाड़ियों को ही प्रदान किया जायेगा, जिनकी मान्यता सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय APEX खेल निकाय द्वारा कम से कम पांच वर्ष पूर्व दी गयी है।

(6) देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख, 01 प्रशस्ति पत्र, 01 प्रतिमा एवं 01 ब्लेजर प्रदान किया जायेगा।

(7) देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ एव राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता ही मान्य होगी।

(8) पुरस्कार चयन हेतु राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) <u>हिमालय रत्न खेल पुरस्कार</u> –

(1) प्रतिवर्ष कुल 06 खिलाड़ियों को हिमालय रत्न खेल पुरस्कार प्रदान किये जायेंगें, जिनमें से 02 टीम स्पर्धाओं हेतु तथा 01 दिव्यांग/विकलांग खेलों के खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे। शेष 03 पुरस्कार सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों को दिया जायेगा। किसी भी खिलाड़ी को केवल एक बार ही यह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

(2) इसके अन्तर्गत रू0 1.00 लाख, 01 प्रशस्ति पत्र, 01 प्रतिमा तथा 01 ब्लेजर खिलाड़ी को प्रदान किया जाएगा।

(3) पुरस्कार किसी खिलाडी को उसकी विगत 01 वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया जायेगा, चयन प्रक्रिया व अंक प्रणाली **(घ)** <u>मूल्यांकन/अंक तालिका</u> के अनुसार होगी, परन्तु (दिव्यांग/विकलांग) एकल खेल एवं टीम खेलों के लिए अलग–अलग वरीयता सूची तैयार होगी और सर्वप्रथम 01 दिव्यांग/विकलांग व 02 टीम खेलों के खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा। शेष तीन स्थानों के लिये उक्त तीनों सामान्य श्रेणियों में से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को चयनित किया जा सकेगा।

(4) निदेशालय स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी उपरोक्त दोनों श्रेणियों के 05–05 सर्वोच्च अंक धारकों की सूची शासन स्तर के स्क्रीनिंग कमेटी को प्रेषित करेगी। यदि 5वें स्थान के लिये 01 से अधिक खिलाड़ी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो सभी का नाम शासन को उक्त सूचियों में भेजा जायेगा।

(5) हिमालय रत्न खेल पुरस्कार हेतु राष्ट्रीय खेल एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ मान्य होगी।

(ग) <u>देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार–</u>

(1) यह पुरस्कार उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत रू. 3.00 लाख, 01 प्रशस्ति पत्र, 01 प्रतिमा एवं 01 ब्लेजर प्रदान किया जायेगा।

(2) देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार 02 श्रेणियों में प्रदान किया जायेगा। प्रथम पुरस्कार के लिये प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों द्वारा विगत 03 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर तथा दूसरा पुरस्कार लाईफटाईम के लिये दिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत जीवन पर्यन्त (Life time) अर्जित श्रेष्ठतम 10 प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों की उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा। आवेदक प्रशिक्षक द्वारा स्वयं आवेदन में मात्र इन्हीं 10 उपलब्धियों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(3) उत्तराखण्ड के वे प्रशिक्षक, चाहे वे राजकीय सेवा में हो या निजी क्षेत्र में कार्यरत् हों, हेतु प्रथम पुरस्कार तभी प्रदान किया जायेगा, जब इस बात की साक्ष्यों के माध्यम से पुष्टि हो जाये कि प्रशिक्षक के प्रशिक्षुओं ने विगत 03 वर्षों में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है तथा द्वितीय पुरस्कार तभी प्रदान किया जायेगा, जब इस बात की साक्ष्यों के माध्यम से पुष्टि हो जाय कि जीवन पर्यन्त (Life time) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है और प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को गौरवान्वित किया है।

(4) द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिये आवेदनकर्ताओं के अंकों की गणना उनके प्रशिक्षुओं को **तालिका प्रस्तर–घ** की अंक प्रणाली से किया जायेगा। किसी भी खिलाड़ी द्वारा प्राप्त पदक प्रमाण–पत्र के साथ सम्बन्धित प्रशिक्षक द्वारा उसे उस वर्ष में न्यूनतम 180 दिन प्रशिक्षण प्राप्त करने का रू. 10.00 के स्टाम्प पेपर (नोटरी द्वारा प्रमाणित) में दिया जाना अनिवार्य होगा।

(5) यदि किसी अवधि में 01 पदक विजेता खिलाड़ी को 01 से अधिक प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया हो, तो खिलाड़ी को प्राप्त अंको का विवरण सभी प्रशिक्षकों में बराबर विभाजित किया जायेगा।

(6) किसी वर्ष में यदि शासन स्तरीय समिति किसी भी एक से अधिक प्रशिक्षक को उपयुक्त नहीं पाती है, तो वह पुरस्कार उस वर्ष हेतु नहीं दिया जायेगा।

(7) जिस भी खिलाड़ी या प्रशिक्षक द्वारा प्रदान की गयी सूचना यदि कालान्तर में किसी भी समय असत्य पायी जाती है अथवा उसका कोई भी अंश असत्य सिद्ध होता है, तो दोनों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी तथा दोनों में से किसी को भी पूर्व में विभाग द्वारा किसी भी पुरस्कार स्वरूप दी गयी धनराशि वापस प्राप्त कर ली जायेगी। इस प्रकार की Unethical practices के लिये प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी दोनों का विभागीय स्तर पर पूर्ण बहिष्कार किया जायेगा।

(8) लाईफटाईम द्रोणाचार्य पुरस्कार की श्रेणी हेतु किसी भी प्रशिक्षक पुरस्कार के लिये उसकी 10 श्रेष्ठतम उपलब्धियों की गणना को मूल्यांकित किया जायेगा।

(9) किसी प्रशिक्षक जिसे देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार पूर्व में प्राप्त हो गया हो, उसके नाम पर पुनः द्रोणाचार्य पुरस्कारों की किसी भी श्रेणी हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(10) देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं ही मान्य होगी। यदि कोई प्रतियोगिता 02 वर्ष अथवा 04 वर्ष पश्चात् आयोजित की जाती है, तो उसे उसके पदक में अंक प्रणाली **(घ) मूल्यांकन/अंक तालिका** के अनुसार 01 अंक अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा।

(11) प्रशिक्षक का आशय ऐसे व्यक्तियों से है, जो मान्यता प्राप्त खेल संस्थानों से खेल में 01 वर्षीय डिप्लोमाधारी या समकक्ष अथवा 06 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स अथवा संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ से प्रशिक्षक के प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र धारक हो।

(घ) मूल्यांकन/अंक तालिका –

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	अंकों का निर्धारण		
		क्र.सं.	पदक/प्रतिभाग	निर्धारित अंक
1	2	3	4	5
1.	ओलम्पिक	1.	स्वर्ण पदक	09 अंक
		2.	रजत पदक	08 अंक
		3.	कांस्य पदक	07 अंक
		4.	प्रतिभाग	06 अंक
2.	विश्व कप/ चैंपियनशिप	1.	स्वर्ण पदक	08 अंक
		2.	रजत पदक	07 अंक
		3.	कांस्य पदक	06 अंक
		4.	प्रतिभाग	05 अंक
3.	एशियाई खेल	1.	स्वर्ण पदक	07 अंक
		2.	रजत पदक	06 अंक
		3.	कांस्य पदक	05 अंक
		4.	प्रतिभाग	04 अंक

4.	राष्ट्रमण्डल खेल	1.	स्वर्ण पदक	06 अंक
		2.	रजत पदक	05 अंक
		3.	कांस्य पदक	04 अंक
		4.	प्रतिभाग	03 अंक
5.	एफ्रो–एशियन खेल/ एशियन चैंपियनशिप/ राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप/एफ्रो– एशियन चैंपियनशिप	1.	स्वर्ण पदक	05 अंक
		2.	रजत पदक	04 अंक
		3.	कांस्य पदक	03 अंक
		4.	प्रतिभाग	02 अंक
6.	सैफ खेल/चैंपियनशिप	1.	स्वर्ण पदक	04 अंक
		2.	रजत पदक	03 अंक
		3.	कांस्य पदक	02 अंक
		4.	प्रतिभाग	01 अंक
7.	राष्ट्रीय खेल	1.	स्वर्ण पदक	03 अंक
		2.	रजत पदक	02 अंक
		3.	कांस्य पदक	01 अंक

3– <u>निर्धारित न्यूनतम अंक</u> –

क्र. सं.	पुरस्कार	निर्धारित न्यूनतम अंक
1.	देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार (01 वर्ष की उपलब्धियों हेतु)	अंक तालिकानुसार न्यूनतम 05 अंक
2.	हिमालय रत्न खेल पुरस्कार (01 वर्ष की उपलब्धियों हेतु)	अंक तालिकानुसार न्यूनतम 03 अंक
3.	देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार (03 वर्ष की उपलब्धियों हेतु)	अंक तालिकानुसार न्यूनतम 10 अंक
4.	देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार (10 वर्ष की श्रेष्ठतम उपलब्धियों हेतु)	अंक तालिकानुसार न्यूनतम 20 अंक

उक्तानुसार देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न खेल पुरस्कार एवं देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु निर्धारित न्यूनतम अंक में आधा अंक कम हो, तो उसे पूर्ण अंक मानते हुए पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

उक्त पुरस्कारों में से देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार **(01 वर्ष की उपलब्धि) एवं देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार (03 वर्ष की उपलब्धि) हेतु सर्वप्रथम उच्च स्तर (मूल्यांकन/अंक तालिकानुसार)** की प्रतियोगिताओं की उपलब्धियों को मूल्यांकन हेतु लिया जायेगा, यदि इस स्तर पर आवेदनकर्ता समान अंक प्राप्त कर रहे हों, तो अगली समान अथवा अवरोही क्रम में प्रतियोगिताओं की उपलब्धियों को मूल्यांकन में लिया जायेगा, यह क्रम तब तक चलता रहेगा, जब तक आवेदनकर्ता उच्च अंक प्राप्त नहीं कर लेता है, किन्तु समस्त स्तर की प्रतियोगिताओं में ओलम्पिक स्तर की प्रतियोगिता को वरीयता प्रदान की जायेगी।

4– <u>स्क्रीनिंग कमेटी (परीक्षण समिति)</u> :–

(01) <u>निदेशालय स्तर</u> –

निदेशक, खेल की अध्यक्षता वाली एक स्क्रीनिंग कमेटी प्राप्त आवेदनों और उनके अभिलेखों के आधार पर प्रत्येक आवेदक द्वारा अर्जित अंकों का निर्धारण करेगी और एक सूची वरीयता क्रम में तैयार करेगी। कमेटी निम्न प्रकार होगीः–

1. निदेशक, खेल – अध्यक्ष
2. अपर निदेशक अथवा वरिष्ठ संयुक्त निदेशक, खेल – सदस्य
3. सचिव, खेल द्वारा शासन स्तर से नामित एक प्रतिनिधि – सदस्य
4. प्रधानाचार्य, म0प्र0स्पो0 कॉलेज, देहरादून – सदस्य
5. खेल विधा से जुड़ी हुई एक विशिष्ट प्रतिभा (जिसका नाम पुरस्कार हेतु सम्मिलित न हो) (जिसका नामांकन निदेशक, खेल द्वारा नामित किया जायेगा) – सदस्य

उक्त समिति विभिन्न खेलों के लिये उन खेलों से सम्बन्धित किसी भी विशेषज्ञ की सेवा अपने सहायतार्थ ले सकेगी।

(02) <u>शासन स्तर</u> :–

पुरस्कार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में खेल निदेशालय द्वारा उपरोक्तानुसार तीनों पुरस्कारों हेतु प्रस्तावित संस्तुतियों पर सचिव खेल उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नानुसार गठित कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा–

1.	सचिव खेल, उत्तराखण्ड शासन।	– अध्यक्ष
2.	निदेशक, खेल, उत्तराखण्ड।	– सदस्य
3.	सचिव, खेल द्वारा खेल विधा में नामित एक खेल विशेषज्ञ।	– सदस्य

(03) उपरोक्त तीनों पुरस्कारों यथा देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न, हिमालय रत्न खेल पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिये पात्र व्यक्तियों के चयनोपरान्त उक्त पर मा0 खेल मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

5– <u>सामान्य निर्देश</u> :–

1. उत्तराखण्ड खेल निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य क्रीड़ा संघों/खिलाड़ियों से राज्य की **खेल नीति–2021 में प्रख्यापित कोर खेल विधाओं में** खिलाड़ियों को पुरस्कृत किये जाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष आवेदन एवं संस्तुति निर्धारित प्रारूप पर मांगी जायेगी।
2. आवेदक द्वारा **निर्धारित प्रारूप** पर निदेशक, खेल को **समस्त प्रमाण–पत्रों के साथ आवेदन** करना होगा।
3. आवेदक द्वारा **अर्जित समस्त खेल उपलब्धियों के प्रमाण** पत्रों की छायाप्रतियां संबंधित **मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ से प्रमाणित** कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराना होगा।
4. यदि कोई खिलाड़ी सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय **रिकार्ड के साथ पदक** प्राप्त करता है, तो वह देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न एवं **हिमालय रत्न खेल पुरस्कार** के लिए पात्र होगा तथा खिलाड़ी का प्रशिक्षक देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु पात्र होगा। इस हेतु संबंधित को 01 अंक अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा।

5. उपरोक्त पुरस्कार उन खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को दिया जायेगा, जिनकी संस्तुति राज्य क्रीड़ा संघ द्वारा की गयी हो तथा वे उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी हों।
6. खिलाड़ी/प्रशिक्षक, जिन्होंने सीनियर अथवा जूनियर वर्ग में मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, जिनका उल्लेख उक्तानुसार प्रस्तर **(घ) मूल्यांकन/अंक तालिका** में किया गया है, में पदक अर्जित किया हो अथवा भाग लिया हो, उन्हीं को मूल्यांकन में सम्मिलित किया जायेगा।
7. खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो एवं अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु राष्ट्रीय टीम के चयन से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, वह खिलाड़ी ही पुरस्कार हेतु संज्ञान में लिये जायेंगे।
8. एक बार देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुनः देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न या हिमालय रत्नखेल पुरस्कार हेतु नामांकित नहीं किया जायेगा। वह भविष्य में देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार हेतु अर्ह होगा। इसके अतिरिक्त हिमालय रत्न खेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी पुनः देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न या देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कारों हेतु अर्ह होगा।
9. पुरस्कारों हेतु मात्र अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेल संघों की 04 वर्ष, 02 वर्ष, 01 वर्ष में 01 बार आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की उपलब्धियों को ही मापक अंकों में गिना जायेगा। यूथ/जूनियर प्रतियोगिताओं के लिए उक्त मापक अंक 1/2 (आधा) अंक तथा कैडेट/सब जूनियर के लिए एक चौथाई (1/4) अंक निर्धारित होगी।
10. यदि मूल्यांकन में आवेदकों की संख्या दो या दो से अधिक होती है, तो मूल्यांकन के पश्चात् समान अंक हों तो उच्च स्तर की प्रतियोगिता में जिस खिलाड़ी द्वारा अधिक बार पदक प्राप्त/प्रतिभाग किया होगा, उसके नाम पर **गठित स्क्रीनिंग समिति** द्वारा विचार किया जायेगा।
11. आवेदनकर्ता द्वारा निम्न तथ्यों के संबंध में शपथपत्र देना अनिवार्य होगा –
    1. आवेदक द्वारा किसी भी प्रतियोगिता/चैंपियनशिप/खेल आयोजनों में मादक पदार्थों का सेवन किये बिना ही प्रतिभाग किया गया है।
    2. वह मा0 न्यायालय द्वारा किसी वाद में दोषी नहीं ठहराया गया है।
    3. वह यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी आरोप में दोषी नहीं ठहराया गया है।

6– यह आदेश वित्त अनु–03, उत्तराखण्ड शासन के ई–ऑफिस आई0डी0 संख्या–I/75826/2022, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

भवदीय,
Signed by Abhinav Kumar
Date: 17-11-2022 10:32:05
(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–634 / VI-3 / 2022–06(03)2008, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊं मण्डल / गढ़वाल मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।